

Regarding MNC, Rijk Zwaan, Netherlands

श्री अमरा राम (सीकर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा का, सदन का, सरकार का और कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नीदरलैंड की बहुराष्ट्रीय कंपनी, [Rijk Zwaan](#) द्वारा 2 सालों से खीरे के नकली बीज दिए जा रहे हैं। जो बहुत ही उच्च कोटि की फसलें पैदा करते हैं, उनको इस साल नकली बीज दिए गए। वह बीज बहुत महंगा है और एक बीज की कीमत 10 रुपये है। डेढ़ लाख रुपये, 2 लाख रुपये के राजस्थान के सीकर और नागौर के दर्जनों किसानों के बिल मेरे पास हैं। इस नीदरलैंड की बहुराष्ट्रीय कंपनी ने राजस्थान के किसानों को चोट करने का काम किया है।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आपका विषय ककड़ी उत्पादकों का है। आप दूसरा विषय बोल रहे हैं।

श्री अमरा राम : सर, वही विषय है। खीरे का नकली बीज देने के कारण किसानों की फसल को नुकसान हो रहा है। 2-2 लाख रुपये के बीज कंपनी से लिए और किसी भी तरह की 10 पर्सेंट भी फसल की पैदावार नहीं हुई। इस सीड से बीमारियों से मुकाबले के साथ उत्पादन होना था। इन्होंने 2 सालों तक ठीक से बीज दिए, इसलिए लोगों ने विश्वास करके उनसे इसे खरीदा। वहां के कृषि विभाग ने कंपनी और दस अधिकारियों की टीम बनाकर भेजी। एक जगह जाने के बाद कंपनी का रिप्रजेंटेटिव वहां से भाग गया। कंपनी किसानों के मुआवजे को नहीं देना चाहती है। न केवल राजस्थान में, यह बहुराष्ट्रीय कंपनी है तो देश के अन्य लोगों को भी इस कंपनी ने बीज दिए होंगे। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि देश की तमाम जगहों पर नीदरलैंड की कंपनी ने जो नकली बीज दिए हैं, इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और किसानों को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कराई जाए। एक साधारण किसान देश के कोर्ट्स में चक्कर नहीं काट सकता है। इस तरह की कंपनीज़, जो नकली बीज और खाद देकर किसानों को लूटने का काम कर रही हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चाहे बीज का सवाल हो या खाद का सवाल हो, जहां भी ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनीज़ ने पूर्ति की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।